

(भारत के राजपत्र के भाग 1 खण्ड 2 में प्रकाशनार्थ)


भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, दिनांक: 31 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

सं. 39019/4/2016 - स्था. (ख) - राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य प्रो. डेविड आर. सिम्लिह को संविधान के अनुच्छेद 316 (1क) के अनुसार 04 जनवरी, 2017 के पूर्वाहन से अगले आदेशों तक या 21.01.2018 को सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल पूरा होने, जो भी पहले हो, तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद का कर्तव्य निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।



(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद, हरियाणा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :

1. प्रो. डेविड आर. सिम्लिह, सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
2. वेतन और लेखा कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
3. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली
4. गार्ड फाईल


(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक